परिपत्र सं. 20/20/2017-आईजीएसटी

फा.सं. 354/320/2017-टीआरयू (पीटी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>कर अनुसंधान एकक</u>

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक 22 नवंबर, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/
केंद्रीय कर आयुक्त (सभी)/महानिदेशक प्रणाली

विषयः **'टेराकोटा मूर्तियों'** का वर्गीकरण और उन पर जीएसटी की दर- **के विषय में**

'क्ले' से बनी मूर्तियों पर जीएसटी की दर शून्य है। (अधिसूचना सं. 2/2017, दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची की क्रंम सं. 135क।

2. इस संबंध में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें यह पूछा गया है कि क्या इस प्रविष्टि के दायरे में टेराकोटा से बनी मूर्तियां भी आती हैं।

3. इस मामले पर विचार-विमर्श किया जा चुका है। टेराकोटा क्ले आधारित होता है अतः टेराकोटा की मूर्तियों पर अधिसूचना सं. 2/2017, दिनांक 28.06.2017 की क्रम सं. 135 क के अंतर्गत जीएसटी की दर शून्य हो सकती है।

4. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जायें।

(रूचि विष्ट)
अवर सचिव (टीआरयू)